उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ - 226001

पत्र सं०- 815/ट्रस्ट/कोषागार भुगतान | दिनांक: 14/06/2016

"ई०मेल०" निदेशक (वित्त)
उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्राँ०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०,
डिस्कॉम वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, केसा कानपुर एवं
मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"शीर्ष प्राथमिकता"

विषय :-पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों को कोषागारों के माध्यम से भुगतान।

कृपया, उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 462/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 11.04.2016, पत्रांक 518/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 23.04.2016, पत्रांक 660/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 16.05.2016 एवं समय समय पर निर्गत पत्रो का सन्दर्भ लें। अवगत कराना है कि अभी तक इकाइयो/क्षेत्रों एवं निगमों के सक्रिय सहयोग से अल्प अवधि मे 63700(91%) से अधिक पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरों के प्रपत्र ट्रस्ट स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कर, सम्बन्धित कोषागारों में फीडिंग एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु दिये जा चुके है। लेकिन कोषागार में फीडिंग एवं भुगतान की प्रमाणिक स्थिति प्राप्त नही है। ट्रस्ट से प्रतिहस्ताक्षरित अनुमानित 76% प्रकरणो मे ही अभी तक कोषागार से भुगतान हो पाया है। उच्च प्रबन्धन स्तर पर समीक्षा के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही कराया जाना आवश्यक है:-

1. ट्रस्ट कार्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के प्रकरणों की, कोषागार द्वारा पेंशन भुगतान की स्थिति, क्षेत्र एवं निगम स्तर से प्रतिदिन ई०मेल द्वारा अवगत कराया जाए। कोषागार से प्रथम भुगतान के समय, कोषागार से विवरण प्राप्त कर, पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा सही होने की पुष्टि की जाये। स्थानीय/क्षेत्र एवं निगम स्तर पर प्रयास कर ट्रस्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में जून माह मे अधिकतम भुगतान सुनिश्चित किया जाए, 29.02.2016 के पुराने प्रकरणों की वास्तविक संख्या का पुनः आंकलन कर लिया जाये। ट्रस्ट स्तर पर स्थिति संलग्न है।
2. शासनादेश संख्या 1/2016/41/24-पी० दिनांक 13.01.2016 के बिन्दु संख्या 3(vii) में वर्णित, निगमों का अंशदान प्रेषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक/वांछित कार्यवाही अविलम्ब निम्नवत् की जाये:-
   (अ) वर्तमान में अंशदान की दर, निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, ग्रेड पे एवं मंहगाई भत्ते के योग का 19.08% का कार्यालय ज्ञाप निगम स्तर से निर्गत कराकर प्रतिलिपि निदेशक पेंशन, निदेशक कोषागार एवं सचिव (ट्रस्ट) को प्रष्टांकित की जाए।
   (ब) मासिक अंशदान की एकमुश्त राशि मात्र उ0प्र0पा0का0लि0, उ०प्र०पा०ट्राँ०का०लि०, डिस्काम केस्को उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम से, कम्पनी के कार्मिको की संख्या, जिनके वेतन के आधार पर गणन की गई है, के साथ सचिव ट्रस्ट कार्यालय को माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित कर दी जाए। जिससे ट्रस्ट स्तर से अग्रिम कार्यवाही, निर्धारित अवधि में कराई जा सके।
3. शेष पेंशन प्रकरणों को भी कम से कम (25 केस), या अवशेष केसो का 25% एक बार, प्राथमिकता पर तैयार कराकर, ट्रस्ट कार्यालय के प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रषित किए जाने की कार्यवाही की जाए, जिससे की शेष (9% कार्य 25.06.2016 तक पूर्ण हो सके। जिन इकाईयों में अभी तक 90% से कम कार्य हुआ है, या लम्बित पेंशनर की संख्या 50 से अधिक है, वहाँ विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। लम्बित प्रकरणो की सूची कारण सहित तैयार कराकर क्षेत्र एवं निगम स्तर पर समीक्षा की जाये, जिन प्रकरणों मे किन्ही कारणों से पेंशन प्रत्याप्ति की स्थिति आ रही हो उनके सम्बन्ध में निगम आदेशों के अनुरूप 29.02.2016 तक की प्रत्याप्ति की राशि पत्र के माध्यम से चैक/ड्राफ्ट द्वारा ट्रस्ट को वापिस की जायें।
4. अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी की निधि माँग ट्रस्ट को प्रषित करने के पूर्व निगमों द्वारा समय पर जा आदेशों के कड़ाई से अनुपालन की जांच कर ली जाये। अनन्तिम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों सेवानिवृत्ति/मृत्यु का दिनांक एवं अन्तिम पेंशन स्वीकृति न होने के कारण सहित प्रेषित किया जाये। पेंशन *दायित्वों के 14.01.2000 से पहले या बाद के वर्गीकरण को कोई औचित्य वर्तमान में नही है।*

5. 29.02.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या 3(viii) के अनुसार पुरानी प्रकिया की भांति कार्यवाही की जाए एवं निधि माँग में सेवानिवृत्त/मृत्यु की तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जबकि 29.02.2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत कार्मिको के सम्बन्ध मे शासनादेश बिन्दु संख्या 3(ix) के अनुसार कार्यवाही की जाये। नये प्रकरणों को भी माह में एक बार पेंशन स्वीकृताधिकरियों द्वारा ट्रस्ट के प्रति हस्ताक्षरित कराकर सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था करनी होगी।

6. निगम स्तर से वित्तीय वर्ष 2014–15 के सा0भ0नि0, पेंशन एवं अं0भ0नि0 मद में निर्धारित प्रारूप मे देयता के विवरण प्राप्त न होने के कारण ट्रस्ट के मासिक लेखे संकलित नही हो पा रहे है। अतएव असम्प्रेक्षित लेखे के आधार पर देयता के विवरण एक सप्ताह में प्रेषित कराए। साथ ही सा0भ0नि0 मद मे उ0प्र0पा0का0लि0 को प्रेषित, 4/14 एवं आगे का लम्बित निधि माँग का माहवार विवरण भी प्रेषित कराए। उ0प्र0 पा0का0लि0 द्वारा निर्गत मासिक सा0भ0नि0/अं0भ0नि0 पेंशन अंशदान की धनराशि 3 कार्य दिवसो में ट्रस्ट को प्रेषित कराये जाने का कष्ट करें। प्रेषित निधि माँग की सत्यता की जाँच भी कर लें। यदि आवश्यक हो तो निधि माँग संशोधित करें।

7. सा0भ0नि0/अ0भ0नि0 मद मे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये नोटिफिकेशन निर्गत न होने एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा पी0पी0एफ0 पर 8.7% के स्थान पर 8.1% ब्याज दर की अनुमन्यता को ध्यान मे रखते हुए 01.04.2016 से 8.1% (नोटिफिकेशन के अनुसार परिवर्तनीय) दर पर ब्याज आकलित करते हुए सा0भ0नि0/अं0भ0नि0 के प्रकरण निस्तारित किए जा सकते है।

8. सा0भ0नि0, अं0भ0नि0 के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के संकलित विवरण अधिकांश इकाइयों/क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों मे प्रेषित नही किये है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के संकलित विवरण अधिकतम 30.06.2016 तक भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे लेखा पर्ची निर्गत की जा सकें।

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी

पत्र सं0– /ट्रस्ट/कोषागार भुगतान /तददिनांक: .2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम, वाराणसी, आगरा, लखनऊ एवं मेरठ, केस्को कानपुर।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ/निदेशक वित्त, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/वित्त, उ0प्र0पा0का0लि0 एवं उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (लेखा) डिस्काम, वाराणसी,आगरा, लखनऊ एवं मेरठ।
6. समस्त मुख्य अभियंता/महाप्रबन्धक उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0 लि0, डिस्काम।
7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ/उपमहाप्रबन्धक (केस्को), कानपुर, उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), लखनऊ।
8. समस्त उपमहाप्रन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी (वितरण/पारेषण), तापीय परियोजनायें उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0 नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0, समस्त डिस्काम।
9. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0प0से0इ0 ट्रस्ट लखनऊ।

(पी0के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

ई मेल:- sectrustlko@gmail.com दूरभाष सं0 0522-2288187